



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-16012023-242010
CG-GJ-E-16012023-242010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]
No. 28]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 जनवरी, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना) विनियम, 2022

सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी033.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है: -

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

ये नियम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के अधीन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) पर लागू होंगे।

3. उद्देश्य -

इन विनियमों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया स्थापित करना है।

4. परिभाषाएँ -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) 'अधिनियम' का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);

(ii) 'लेखांकन वर्ष'-

क. अनिगमित एंटिटी के रूप में स्थापित आईआईओ के संबंध में, उसकी मूल एंटिटी द्वारा अपनाए गए वित्तीय वर्ष को संदर्भित करेगा;

ख. निगमित रूप में स्थापित आईआईओ के संबंध में, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि को संदर्भित करेगा;

(iii) 'प्राधिकरण' का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;

(iv) 'बीमा अनुबंध' का अर्थ है एक ऐसा अनुबंध, जिसके अधीन एक पक्ष (बीमाकर्ता) किसी अन्य पक्ष (पॉलिसीधारक) से महत्वपूर्ण बीमा जोखिम स्वीकार करेगा, यदि निर्दिष्ट अनिश्चित भविष्य की घटना (बीमाकर्ता) पॉलिसीधारक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी तो वह पॉलिसीधारक को मुआवजा देने के लिए सहमत होगा।

(v) 'आईआरडीएआई' का अर्थ है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन गठित भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;

(vi) 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे दिया गया है;

(vii) 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय' का वही अर्थ होगा जो इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अधीन दिया गया है;

(viii) 'मूल एंटिटी' का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) के अधीन इसे दिया गया है;

(ix) 'पॉलिसीधारक निधि' का अर्थ होगा बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता का योग और इसमें खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए ('आईबीएनआर'), खर्च किए गए लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए ('आईबीएनईआर'), अकालातीत जोखिम रिजर्व ('यूआरआर') प्रीमियम अभाव रिजर्व ('पीडीआर'), आपदा रिजर्व ('सीआर'), और अन्य निवल आस्तियां ऋण देयताएं शामिल हैं।

स्पष्टीकरण: (1) अन्य देयताओं में (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनाबंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष राशि (iv) विविध लेनदारों (पॉलिसीधारकों को देय), आदि और (2) अन्य आस्तियों में (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य एंटिटियों द्वारा देय (iii) आतंकवाद पूल के पास शेष राशि (यदि लागू हो), आदि शामिल हैं।

(x) 'शेयरधारकों की निधियां' का अर्थ होगा शेयर पूंजी जमा सभी रिजर्व और अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और उचित मूल्य परिवर्तन लेखे को छोड़कर) रिजर्व ऋण तुलनपत्र की तारीख को बट्टे लेखे में नहीं डाले जाने की सीमा तक संचित हानि और विविध व्यय।

स्पष्टीकरण: 'शेयरधारकों' की निधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, अनिगमित रूप में आईआईओ, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 17 के उप-विनियम (2) में यथा-उल्लिखित 'शेयर पूंजी' के बजाय 'सौंपी गई पूंजी' का उपयोग करेगा।

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियमों या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम, विनियमों में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियम या कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन में उन्हें दिए गए हैं।

अध्याय- II

वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए सामान्य निदेश

5. लागू 'लेखांकन मानक' या "एएस"

- (1) अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओ, अपनी मूल एंटिटी के लिए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करेगा।
- (2) निगमित रूप में स्थापित आईआईओ, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करेगा, सिवाय इसके कि:
- (i) नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 (एएस 3) के अधीन यथा-प्रदत्त केवल प्रत्यक्ष विधि के अधीन तैयार किया जाएगा;
- (ii) सूचीबद्धता और कारोबार से संबंधित अपेक्षाओं के बावजूद, खंड रिपोर्टिंग लेखा मानक 17 (एएस 17) के अनुसार तैयार की जाएगी;
- (iii) निवेश के लिए लेखांकन पर लेखा मानक 13 (एएस 13) लागू नहीं होगा;

बशर्ते कि प्राधिकरण, जब वह उचित समझे, आईएफआरएस या किसी अन्य लेखा मानक में संक्रमण को निर्दिष्ट कर सकता है।

6. निगमित रूप में स्थापित आईआईओ द्वारा वित्तीय विवरण तैयार किया जाना:

- (1) निगमित रूप में स्थापित और जीवन बीमा कारोबार में लगे आईआईओ, **अनुसूची-क** के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन सिद्धांतों, मानकों और प्रकटीकरण या अन्य अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
- (2) निगमित रूप में स्थापित और सामान्य बीमा व्यवसाय या पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे आईआईओ, **अनुसूची-ख** के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन सिद्धांतों, मानकों और प्रकटीकरण या अन्य अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

7. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

- (1) सभी आईआईओ अपने वित्तीय विवरणों को प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत करेंगे।
- (2) आईआईओ द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में पिछले लेखांकन वर्ष के संबंध में तुलनात्मक सूचना भी शामिल होगी।

8. आईआईओ स्पष्ट रूप से उन लेखांकन मानकों का खुलासा करेगा जिनका पालन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में किया गया है।

9. आईआईओ द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय विवरण के प्रत्येक पहलू के लिए लागू लेखांकन नीतियों का विस्तृत विवरण शामिल होगा।
10. आईआईओ लेखांकन मानक या अपनाई गई किसी भी लेखांकन नीति में परिवर्तन और वित्तीय विवरणों पर इसके शीर्ष-वार वित्तीय प्रभाव का खुलासा करेगा।
11. आईआईओ द्वारा प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय रिपोर्टिंग अमेरिकी डॉलर में होगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
12. निगमित रूप में स्थापित आईआईओ, वित्तीय वर्ष के अंत से नब्बे (90) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट;
 - (ii) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट;
 - (iii) जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट;
 - (iv) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट;
 - (v) लेखाओं की तदनुसूची टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण;
 - (vi) प्रमाणित बाह्य लेखापरीक्षक रिपोर्ट; और
 - (vii) प्रमाणित बीमांकक रिपोर्ट।
13. आईआईओ अपने वित्तीय विवरणों में सभी संबंधित पक्षों के साथ हुए लेनदेन का खुलासा करेगा।
14. उपर्युक्त विनियम 4(1)(iv) में परिभाषित किए अनुसार 'बीमा अनुबंध' के अधीन कवर नहीं किए गए किसी भी अनुबंध का अलग से रिपोर्ट और खुलासा किया जाएगा।
15. **निधियों का पृथक्करण**
 - (1) सभी आईआईओ शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों के अलग-अलग लेखाओं का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करेंगे।
 - (2) सभी आईआईओ यह सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिसीधारकों को आवंटित निवेश पॉलिसीधारकों की निधियों के मूल्य से कम नहीं हो।

अध्याय - III

लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण

16. आईआईओ निम्नलिखित दस्तावेजों का अनुरक्षण और संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पुनर्प्राप्ति रूप में करेगा-
 - (1) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में तुलन पत्र;
 - (2) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, जिसका अनुरक्षण उपार्जन आधार पर किया जाएगा;
 - (3) राजस्व लेखा;
 - (4) नकदी/निधि प्रवाह का विवरण (प्रत्यक्ष विधि); और
 - (5) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित ऐसी अन्य लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज।
17. आईआईओ द्वारा इन विनियमों में संदर्भित सभी लेखा बहियों, दस्तावेजों, विवरणों, अनुबंध टिप्पणियों आदि का रखरखाव अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण और अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट किए अनुसार किया जाएगा।

अध्याय - IV

विविध

18. प्रक्रिया आदि निर्दिष्ट करने की शक्ति:

प्राधिकरण इन विनियमों के कार्यान्वयन और सुकरीकरण के उद्देश्य से और इनसे जुड़े प्रासंगिक मामलों के बारे में, आईआईओ द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, विधियां और तरीके निर्दिष्ट कर सकता है।

19. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

(1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन टिप्पणी या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) निर्दिष्ट अप्रतिदेय संसाधन शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के सख्त प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

20. निरीक्षण, अन्वेषण, सूचना और प्रकटीकरण:

(1) प्राधिकरण, आईआईओ या इसकी मूल एंटिटी से कोई भी सूचना, जो आईआईओ के रूप में इसकी गतिविधियों से संबंधित है, की मांग करने सहित, आईआईओ के मामलों का निरीक्षण या अन्वेषण कर सकता है।

(2) आईआईओ, प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट रूप और तरीके से सूचना का प्रकटीकरण करेगा।

21. निरसन और व्यावृत्तियां:

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और तारीख से आईआरडीए(बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षक रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और इसके अधीन जारी दिशानिदेश/परिपत्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में लागू नहीं होंगे।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और तारीख से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों का संचालन) दिशानिदेश, 2021 के अध्याय-4 का लोप हो जाएगा।

(3) उप-विनियम (1) में कुछ भी होने के बावजूद, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों, दिशानिदेशों, परिपत्रों के अधीन की गई या की जाने वाली कोई कार्रवाई, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई मानी जाएगी;

(4) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व आईएफएससी में कार्य करने वाला आईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छः (6) माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट, इस प्रकार के विस्तारित समय के भीतर इन विनियमों में निर्धारित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

अनुसूची - क

(विनियम 6(1) देखें)

भाग- I

वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन सिद्धांत

1. आईआईओ वित्तीय विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सामान्य लेखा सिद्धांतों का पालन करेंगे:

- (1) **प्रीमियम:** देय होने पर प्रीमियम को आय माना जाएगा। इससे संबंधित व्यवसाय के लिए, भुगतान की देय तारीख को संबद्ध इकाइयों के सृजन की तारीख के रूप में लिया जाएगा।
- (2) **अधिग्रहण लागत:** अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, सीधे तौर पर पॉलिसी के लिए जिम्मेदार है, अनुबंध अवधि या पॉलिसी पर जोखिम की अवधि के दौरान खर्च की जाएगी। पॉलिसी के असमाप्त भाग को आस्थगित किया जाएगा और इसे आस्थगित अधिग्रहण लागत माना जाएगा और बाद की अवधि में व्यय किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण:* अधिग्रहण लागत वह लागत है जो भिन्न-भिन्न होती है और मुख्य रूप से नए और नवीनीकृत बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं। सबसे आवश्यक परीक्षण लागत और बीमा अनुबंधों के निष्पादन (अर्थात् जोखिम की शुरुआत) के बीच अनिवार्य संबंध है
- (3) **दावा लागत:** दावों की अंतिम लागत में, जहां भी लागू हो, पॉलिसी लाभ राशि और विशिष्ट दावा निपटान लागत शामिल होगी।
- (4) **बीमांकिक मूल्यांकन - जीवन पॉलिसियों के लिए देयता:**
- (i) जीवन बीमा व्यवसाय के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसरण में जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रति देयता का अनुमान आईआईओ के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बीमांकिक अनुमानों का खुलासा लेखाओं में की गई टिप्पणियों के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) देयता की गणना इस प्रकार की जाएगी कि आईआईओ भविष्य में किए जाने वाले प्रीमियम के भुगतान और निवेश आय से, भविष्य के सभी दावों (पॉलिसीधारकों की बोनस पात्रता सहित) और खर्चों की पूर्ति कर सके।
- (iii) इसके अतिरिक्त, आईआईओ अपनी सभी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आस्तियां बनाए रखेगा
2. इन विनियमों के विनियम 5 में निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों में निहित किसी भी बात के होते हुए, आईआईओ को अपने निवेशों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- (1) **भू-संपदा में निवेश:**
- (i) पुनर्मूल्यांकन के अध्येधीन भू-संपदा में निवेश का मूल्य हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार, पूर्ववर्ती लागत पर निर्धारित किया जाएगा। भू-संपदा में निवेश की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के आधार का खुलासा लेखाओं की टिप्पणियों में किया जाएगा।
- (ii) आईआईओ, अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देने से पहले, यह आकलन करेगा कि भू-संपदा में निवेश की कोई क्षतिग्रस्तता हुई है या नहीं। जब तक आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं ले जाया जाएगा, तब तक राजस्व लेखे या लाभ और हानि लेखे में क्षतिग्रस्तता हानि को तुरंत व्यय माना जाएगा। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की क्षतिग्रस्तता हानि को उस आस्ति के पुनर्मूल्यांकन में कमी माना जाएगा।
- (iii) भू-संपदा की अग्रणीत राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ या हानि को 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' के अधीन इक्विटी में ले जाया जाएगा। 'निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि', जैसा भी मामला हो, को समायोजित करने के बाद, उस विशेष आस्ति के संबंध में अग्रणीत राशि (पहले 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' शीर्षक के अधीन इक्विटी के रूप में मान्य) में संचित परिवर्तन शामिल होंगे और उस आस्ति की बिक्री पर संबंधित राजस्व लेखे या लाभ और हानि लेखे में पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा।
- (iv) पुनर्मूल्यांकन के आधारों का खुलासा लेखाओं की टिप्पणियों में किया जाएगा। प्राधिकरण पॉलिसीधारकों को बोनस घोषित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से जारी की जाने वाली राशि को निर्दिष्ट करते हुए

निदेश जारी कर सकता है। संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण के निदेशानुसार पॉलिसीधारकों को जारी की जाने वाली राशि के अलावा पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में से शेयरधारकों को कोई अन्य राशि वितरित नहीं की जाएगी।

- (2) **ऋण प्रतिभूतियां:** सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को "परिपक्वता के लिए धारित" प्रतिभूतियां माना जाएगा और इसे परिशोधन के अधीन पूर्ववर्ती लागत पर मापा जाएगा। ऋण प्रतिभूतियों के दर-निर्धारण में किसी भी अधोपतन के मामले में, जिसके परिणामस्वरूप लेखा मूल्य में कमी आएगी, तुलन पत्र पर इसके संभावित प्रभाव 'लेखाओं की टिप्पणियों' में प्रकट किए जाएंगे।
- (3) **ऐसी सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखतें जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार होता है:**
- (i) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखत जिनका सक्रिय बाजारों में कारोबार किया जाता है, का मापन तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर किया जाएगा।
स्पष्टीकरण: उचित मूल्य की गणना के उद्देश्य से, स्टॉक एक्सचेंजों में जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, के बंद होने के समय पर अंतिम उद्धृत मूल्य का न्यूनतम लिया जाएगा।
- (ii) आईआईओ अपने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह आकलन करेगा कि क्या सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूति (यों) / डेरिवेटिव लिखतों में कोई हानि हुई है।
- (iii) सक्रिय बाजार का तात्पर्य एक ऐसे बाजार से होगा, जहां कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियां समरूप हों, इच्छुक खरीदारों और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य हो और कीमतें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।
- (iv) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और डेरिवेटिव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्रामाण्य लाभ या हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन लेखे" के अधीन इक्विटी में ले जाया जाएगा। 'निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि', जैसा भी मामला हो, किसी विशेष प्रतिभूति के संबंध में "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" शीर्षक के अधीन इक्विटी में पहले से मान्य उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल होंगे और उस सूचीबद्ध प्रतिभूति की वास्तविक बिक्री पर संबंधित राजस्व लेखे या लाभ और हानि लेखे में पुनर्नवीकृत किया जाएगा।
- (v) प्राधिकरण पॉलिसीधारकों को बोनस घोषित करने के लिए उचित मूल्य परिवर्तन लेखे से जारी की जाने वाली राशि को निर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकता है।
स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पॉलिसीधारकों को जारी की गई राशि के अलावा, उचित मूल्य परिवर्तन लेखे से शेयरधारकों को कोई अन्य राशि वितरित नहीं की जाएगी। साथ ही, उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में लाभांश घोषित करते समय किसी भी शेष ऋण को लाभ / मुक्त रिजर्व में से घटाया जाएगा।
- (vi) आईआईओ प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यह आकलन करेगा कि कोई क्षतिग्रस्तता हुई है या नहीं। राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मानी गई पिछली क्षतिग्रस्तता हानि को घटा दिया जाएगा और इसे राजस्व लेखे या लाभ और हानि लेखे में व्यय माना जाएगा जो प्रतिभूति / निवेश के पुनर्मापित उचित मूल्य और इसकी अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक होगा, जैसा कि राजस्व/लाभ और हानि लेखे में पूर्व में मान्य क्षतिग्रस्तता हानि के किसी भी उत्क्रमण को राजस्व/लाभ और हानि लेखे में हुई हानि माना जाता है।
- (4) **गैर-सूचीबद्ध या अन्य सक्रिय रूप से व्यापार की जाने वाली इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखत:** गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखत और सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखत जिनका सक्रिय बाजारों में नियमित रूप से कारोबार नहीं किया जाएगा, उन्हें पूर्ववर्ती लागत पर मापा जाएगा।

ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था की जाएगी। यदि बाह्य साक्ष्य के आधार पर अनुमान निवेश के मूल्य में इसकी अग्रणीत राशि से अधिक वृद्धि दिखाई पड़ती है तो इस प्रकार की गई व्यवस्था को बाद की अवधि में उलट दिया जाएगा। प्रावधान के उल्लंघन के कारण निवेश की बढ़ी हुई वहन राशि पूर्ववर्ती लागत से अधिक नहीं होगी।

- (5) **ऋण:** ऋण को क्षतिग्रस्तता उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ती लागत पर मापा जाएगा। आईआईओ अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करेगा और क्षतिग्रस्तता के लिए व्यवस्था करेगा।
- (6) **आईआईओ द्वारा जारी बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूतित ऋण:** आईआईओ द्वारा जारी बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूतित ऋण का मूल्यांकन ऋण की राशि के रूप में होना चाहिए, लेकिन यह पॉलिसी के समर्पण या समय से पहले समाप्त होने पर पॉलिसी का मूल्यांकन किए जाने की तारीख को देय राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (7) **लिंकड व्यवसाय:** लिंकड व्यवसायों के प्रत्येक पृथक कोष के लिए वित्तीय विवरणों का पृथक सेट संलग्न किया जाएगा।
स्पष्टीकरण: यूनिट लिंकड व्यवसाय के संबंध में निर्धारित निधि को पृथक निधि के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- (8) **भावी विनियोग के लिए कोष:** भावी विनियोग के लिए निधियां अलग से प्रस्तुत की जाएंगी।
स्पष्टीकरण: भावी विनियोग के लिए निधि सभी निधियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका आवंटन पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित नहीं किया गया है।
- (9) **अन्य आस्तियां:**
- (i) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों के पास जमाराशियों और चालू लेखा शेषों का मूल्यांकन उनके अग्रणीत मूल्य पर होना चाहिए। इन आस्तियों का स्वीकार्य मूल्य उनका वहन मूल्य है। किसी भी नकद धारिता का स्वीकार्य मूल्य वहन मूल्य है।
- (ii) ऐसे निवेशों के लिए, जिन्हें विशेष रूप से ऊपर कवर नहीं किया गया है, यदि निवेश देय है, या उस तारीख से बारह (12) माह के भीतर, जिस पर निवेश का मूल्यांकन/माप किया जा रहा है, देय हो जाएगा, तो मूल्यांकन उस राशि के आधार पर होना चाहिए जिसे निवेश के संबंध में रखी गई किसी भी प्रतिभूति को ध्यान में रखते हुए, यथोचित रूप से वसूल किए जाने की आशा है।

भाग – II

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले खुलासे

1. तुलन पत्र की टिप्पणियों के माध्यम से निम्नलिखित का खुलासा किया जाएगा:
- (1) आकस्मिक देयताएँ:
- (i) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश;
- (ii) बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं;
- (iii) पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले दावों को छोड़कर ऐसे अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;
- (iv) आईआईओ द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी;
- (v) विवादाग्रस्त सांविधिक मांग/देयताएं, जिनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है;
- (vi) 'लेखाओं में प्रदान नहीं की गई सीमा तक' पुनर्बीमा दायित्व; और

(vii) यथा-निर्दिष्ट अन्य

- (2) 'लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन के लिए' बीमांकिक धारणाएँ।
 - (3) आईआईओ की आस्तियों पर निर्मित बोझ।
 - (4) ऋण, निवेश और अचल आस्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएँ और बकाया।
 - (5) ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार।
 - (6) तुलन पत्र की तारीख को छह माह से अधिक की अवधि के लिए निपटाए गए और शेष बकाया दावे।
 - (7) निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य, के लिए:
 - (i) खरीद जहां डिलिवरी लंबित हैं;
 - (ii) बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं।
 - (8) उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित उन निवेशों की पूर्ववर्ती लागतें।
 - (9) निवेश से प्राप्त आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन का आधार।
 - (10) वित्तीय विवरणों पर आस्थगित अधिग्रहण लागत का प्रभाव।
2. निम्नलिखित जानकारी का भी खुलासा किया जाएगा:
 - (1) किसी भी वैधानिक आवश्यकता के अनुसार किए गए निवेश को उसकी राशि, प्रकृति, प्रतिभूति और किसी विशेष अधिकार के साथ अलग से प्रकट किया जाएगा;
 - (2) प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए निष्पादन/गैर-निष्पादित निवेशों में पृथक्करण;
 - (3) व्यवसाय का क्षेत्र-वार और भौगोलिक-वार प्रतिशत;
 - (4) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से, पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सारांश;
 - (5) पॉलिसीधारकों के लेखे और शेयरधारकों के लेखे के बीच निवेश और आय के आवंटन का आधार;
 - (6) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट लेखांकन अनुपात।
 3. जहां आवश्यक हो, लेखाओं के लिए टिप्पणी प्रदान की जाएगी,
 - (1) वित्तीय विवरणों में मान्य मदों का वर्णनात्मक विवरण या असमाहरण;
 - (2) उन मदों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं हैं।

अनुसूची - ख

(विनियम 6 (2) देखें)

भाग - I

वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन सिद्धांत

1. विनियम 5 में यथा-निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों में निहित किसी बात के होते हुए, आईआईओ वित्तीय विवरण तैयार करते समय इस भाग में निर्दिष्ट सामान्य लेखांकन सिद्धांतों का पालन करेंगे।

2. खंडीय रिपोर्टिंग

सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय में संलग्न आईआईओ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से खंड के आधार पर राजस्व लेखाओं का विस्तृत विवरण तैयार करेगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त खंडीय रिपोर्टिंग, शाखा के रूप में स्थापित आईआईओ के लेखाओं में टिप्पणी में प्रकटीकरण के माध्यम से की जाएगी।

3. प्रीमियम

- (1) बीमा अनुबंधों के संबंध में प्रीमियम को अनुबंध अवधि या जोखिम की अवधि, जो भी प्रासंगिक हो, की आय माना जाएगा।
- (2) अनर्जित प्रीमियम के लिए रिजर्व, प्रीमियम के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि के रूप में सृजित किया जाएगा, जो संभाव्य है, और बाद की लेखा अवधि के लिए आवंटित की जानी है।
- (3) अनर्जित प्रीमियम को 'चालू देयताएं' शीर्ष के अधीन अलग से दिखाया जाएगा और प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार के संबंध में उपयुक्त खुलासे वित्तीय विवरणों में किए जाएंगे।
- (4) अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) की गणना प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।
- (5) अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम, जो जोखिम के प्रारंभ से पहले प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, को वित्तीय विवरणों में 'वर्तमान देयताओं' के अधीन अलग से दिखाया जाएगा।
- (6) प्रीमियम पॉलिसीधारकों से एकत्र किए गए किसी भी कर (जैसा लागू हो) का निवल दर्शाया जाएगा।

4. **प्रीमियम की कमी:** प्रीमियम में कमी मानी जाएगी यदि अपेक्षित दावा लागतों, संबंधित खर्चों और रखरखाव की लागतों का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियमों से अधिक हो जाएगा।

5. **अधिग्रहण लागत:** पॉलिसी पर प्रत्यक्षतः देय अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, अनुबंध अवधि या पॉलिसी पर जोखिम की अवधि के दौरान व्यय की जाएगी। पॉलिसी के असमाप्त भाग से संबंधित भाग को आस्थगित किया जाएगा और आस्थगित अधिग्रहण लागत माना जाएगा और बाद की अवधि में व्यय किया जाएगा।

6. दावा

- (1) आईआईओ के लिए दावों की अंतिम लागत के घटकों में नीतियों और दावा निपटान लागतों के अधीन दावे शामिल हैं। पॉलिसियों के अधीन दावों में हुई हानि के लिए किए गए दावे और हानि की घटना के बाद पॉलिसी के अधीन अनुमानित या प्रत्याशित दावे शामिल हैं।
- (2) प्रत्यक्ष व्यापार और आवक पुनर्बीमा व्यवसाय दोनों के संबंध में बकाया दावों के लिए देयता को लेखे में लाया जाएगा। दायित्व में निम्नांकित शामिल होंगे: -
 - (i) अदत्त रिपोर्ट किए गए दावों के संबंध में भावी भुगतान;
 - (ii) दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) अपर्याप्त रिजर्व (कभी-कभी दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए के रूप में संदर्भित (आईबीएनईआर)) सहित जिसके परिणामस्वरूप उन दावों के प्रति देयताओं को निपटाने के लिए भविष्य में नकद/आस्तियों का व्यय होगा।

स्पष्टीकरण: अनुमानित देयता में परिवर्तन लेखांकन अवधि के आरंभ और अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता के बीच के अंतर को दर्शाता है।

- (3) लेखांकन अनुमान में अनुमानित निस्तारण मूल्य के लिए समायोजित दावों की लागत भी शामिल होगी यदि इसकी वसूली की पर्याप्त निश्चितता है।
7. **दावा देयता का बीमांकिक मूल्यांकन**
- (1) अनुबंधों के संबंध में किए गए दावों का अनुमान प्रासंगिक लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अधीन बीमांकिक आधार पर मान्य होगा और इस बारे में दायित्व मूल्यांकन की निष्पक्षता के लिए नियुक्त बीमांकिक से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- (2) बीमांकिक अनुमानों का लेखे में टिप्पणियों के माध्यम से उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाएगा।
8. विनियम 5 में यथा-निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों में निहित होते हुए भी, आईआईओ निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे:
- (1) **भू-संपदा में निवेश:**
- (i) भू-संपदा में निवेश का पूर्ववर्ती लागत पर मापन अवशिष्ट मूल्य को शून्य मानते हुए संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर किया जाएगा और इस मामले में किसी पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) आईआईओ प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर मूल्यांकन करेंगे कि क्या भू-संपदा में निवेश में कोई क्षतिग्रस्तता हुई है।
- (iii) क्षतिग्रस्तता हानि को तुरंत राजस्व/लाभ और हानि लेखे में हुआ व्यय माना जाएगा।
- (iv) तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य और निर्धारण के आधार को अतिरिक्त सूचना के रूप में वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाएगा।
- (2) **ऋण प्रतिभूतियां:** सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को "परिपक्वता के लिए धारित" प्रतिभूतियां माना जाएगा और इसका मापन परिशोधन के अधीन पूर्ववर्ती लागत पर किया जाएगा। ऋण प्रतिभूतियों के दर-निर्धारण में किसी भी अधोपतन, जिसके परिणामस्वरूप लेखा मूल्य में कमी आती है, के मामले में, तुलन पत्र पर इसके संभावित प्रभाव का प्रकटीकरण लेखाओं की टिप्पणियों में किया जाएगा।
- (3) **सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखत जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार होता है:**
- (i) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखत जिनका सक्रिय बाजारों में कारोबार किया जाता है, को तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाएगा।
स्पष्टीकरण: उचित मूल्य की गणना के उद्देश्य से, स्टॉक एक्सचेंजों में जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, अंतिम समय में उद्धृत मूल्य का न्यूनतम लिया जाएगा।
- (ii) आईआईओ प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह आकलन करेगा कि क्या सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूति (यां) / डेरिवेटिव लिखतों में कोई क्षतिग्रस्तता हुई है।
- (iii) सक्रिय बाजार का अर्थ एक ऐसा बाजार होगा, जहां कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियां समरूप हैं, इच्छुक खरीदारों और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य है और मूल्य सार्वजनिक रूप में उपलब्ध हैं।
- (iv) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और डेरिवेटिव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राम लाभ/हानि को 'उचित मूल्य परिवर्तन लेखे' के अधीन इक्विटी में ले जाया जाएगा। 'निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि', जैसा भी मामला हो, में विशेष प्रतिभूति के संबंध में "उचित मूल्य परिवर्तन

लेखा" शीर्षक के अधीन इक्विटी में पहले से मान्य उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल होंगे और उस सूचीबद्ध प्रतिभूति की वास्तविक बिक्री पर इन्हें संबंधित राजस्व लेखे या लाभ और हानि लेखे में पुनर्नवीकृत किया जाएगा।

- (v) प्राधिकरण पॉलिसीधारकों को बोनस घोषित करने के लिए उचित मूल्य परिवर्तन लेखा से जारी की जाने वाली राशि को निर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकता है।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पॉलिसीधारकों को जारी की गई राशि को छोड़कर, शेयरधारकों को उचित मूल्य परिवर्तन लेखे से कोई अन्य राशि वितरित नहीं की जाएगी। साथ ही, उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में किसी भी नामे शेष को लाभांश घोषित करते समय लाभ/मुक्त रिजर्व में से घटाया जाएगा।

- (vi) आईआईओ प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यह आकलन करेगा कि कोई क्षतिग्रस्तता हुई है या नहीं। राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मानी गई पिछली क्षतिग्रस्तता हानि को घटा दिया जाएगा और इसे राजस्व लेखे या लाभ और हानि लेखे में व्यय माना जाएगा जो प्रतिभूति / निवेश के पुनर्मापित उचित मूल्य और इसकी अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक होगा। राजस्व/लाभ और हानि लेखे में पूर्व में मान्य क्षतिग्रस्तता हानि के किसी भी उत्क्रमण को राजस्व/लाभ और हानि लेखे में हुई हानि माना जाता है।

- (4) गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से न कारोबार करने वाली इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखतें: गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखतें और सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और डेरिवेटिव लिखतें जो नियमित रूप से सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं करती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती लागत पर मापा जाएगा। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाएगा। यदि बाह्य साक्ष्य के आधार पर अनुमान निवेश के मूल्य में इसकी अग्रणीत राशि से अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर होगी तो इस प्रकार किए गए प्रावधान को बाद की अवधि में उत्क्रमित कर दिया जाएगा। प्रावधान के उत्क्रमण के कारण निवेश की बढी हुई वहन राशि पूर्ववर्ती लागत से अधिक नहीं होगी।

- (5) ऋण: ऋण को क्षतिग्रस्तता उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ती लागत पर मापा जाएगा। आईआईओ अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करेगा और क्षतिग्रस्तता की स्थिति में इसकी व्यवस्था करेगा।

- (6) आपदा रिजर्व: इसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों, यदि कोई हो, के अनुसार सृजित किया जाएगा

भाग - II

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले खुलासे

1. तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले अतिरिक्त खुलासे

- (1) आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक व्यवस्था नहीं की गई है)

- (i) आकस्मिक देयताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:

- क. पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले दावों को छोड़कर अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;
- ख. पुनर्बीमा दायित्व;
- ग. विवादित सांविधिक मांग/देयताएं, जिनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है;
- घ. अन्य धन जिसके लिए आईआईओ आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

(ii) प्रतिबद्धताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा:

- क. पूंजी लेखे पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि जिसकी व्यवस्था नहीं की गई;
- ख. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों और अन्य निवेशों पर अवांछित देयता;
- ग. अन्य प्रतिबद्धताएं (प्रकृति निर्दिष्ट करें)।

(2) भारत में और भारत के बाहर आईआईओ की आस्तियों पर बोझ।

(3) निवेशों के संबंध में अनुबंधित राशि:

- (i) खरीद जहां प्रदायगी लंबित हैं;
- (ii) बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं।

(4) बीमा अनुबंधों के संबंध में बरकरार रखे गए और पुनर्बीमित जोखिम की सीमा।

(5) तुलनपत्र की तारीख को छह माह से अधिक की अवधि के दौरान निपटाए गए और शेष बकाया दावे।

(6) जब आईआईओ लेखा नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करेगा या वित्तीय विवरणों में वस्तुओं का पुनर्कथन करेगा या जब यह अपने वित्तीय विवरणों में वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण करेगा, तो आईआईओ तुलन पत्र को प्रभावित हुए क्षेत्रों के विस्तृत कार्यक्रम के साथ पूर्वगामी तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में पुनर्वर्णित "तुलन पत्र" संलग्न करेगा।

(7) आईआईओ के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट पूंजी को अधिनियम के संदर्भ में, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के अधीन इक्विटी के अलग घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित न्यूनतम पूंजी से अधिक किसी भी अंशदान को प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

(8) दावों के मूल्यांकन में बीमांकिक अनुमानों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के भाग के रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) आस्थगित अधिग्रहण लागत का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव।

2. लाभ और हानि विवरण की टिप्पणियों के भाग के रूप में अतिरिक्त खुलासे

(1) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना;

(2) इस बात को शामिल करते हुए कि क्या बाहरी साक्ष्य पर निर्भरता रखी गई है, श्रेणीवार, आधार और औचित्य सहित अलग-अलग जोखिम पैटर्न के आधार पर सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए मान्य प्रीमियम आय की सीमा;

(3) कुल निवल प्रीमियम के एक प्रतिशत से अधिक व्यय और आय वाली मदों को अलग-अलग दिखाया जाएगा;

(4) नियामक प्राधिकरणों द्वारा आईआईओ या इसकी मूल एंटीटी पर की गई विभिन्न दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण;

(5) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट लेखांकन अनुपात।

3. लेखाओं के लिए टिप्पणी में, जहां आवश्यक हो, ये भी प्रदान किए जाएंगे,
- (1) वित्तीय विवरणों में मान्य मदों का वर्णनात्मक विवरण या असमाहरण;
 - (2) उन मदों के बारे में सूचना जो वित्तीय विवरणों में मान्यता के योग्य नहीं हैं।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./557/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 12th January, 2023

International Financial Services Centres Authority (Preparation and Presentation of Financial Statements of International Financial Service Centre Insurance Offices) Regulations, 2022

No. IFSCA/2022-23/GN/REG033.— In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and Section 114A of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: -

CHAPTER – I

1. Short title and commencement -

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Preparation and Presentation of Financial Statements of International Financial Service Centre Insurance Offices) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs) registered with the Authority under International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021.

3. Objective -

These regulations aim to put in place the process of preparation and presentation of financial statements of the International Financial Service Centre Insurance Offices (IIO).

4. Definitions –

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires -
 - (i) ‘Act’ means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (ii) ‘accounting year’-
 - a. In relation to an IIO set up in an unincorporated entity form, shall refer the financial year followed by its parent entity;
 - b. In relation to an IIO set up in an incorporated form, shall refer to a period ending on the 31st March every year;
 - (iii) ‘Authority’ means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
 - (iv) ‘insurance contract’ means a contract under which one party (the insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder’.

(v) ‘**IRDAI**’ means The Insurance Regulatory and Development Authority of India constituted under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(vi) ‘**International Financial Services Centre**’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(vii) ‘**International Financial Service Centre Insurance Office**’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;

(viii) ‘**Parent Entity**’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;

(ix) ‘**Policyholders’ Fund**’ shall mean the sum of estimated liability for Outstanding Claims and includes incurred but not reported (‘IBNR’), incurred but not enough reported (‘IBNER’), unexpired risk reserve (‘URR’), premium deficiency reserve (‘PDR’), catastrophe reserve (‘CR’), and other liabilities net off other assets.

Explanation: (1) Other Liabilities, comprise of (i) premium received in advance (ii) unallocated premium (iii) balance due to other insurance companies (iv) sundry creditors (due to policyholders), etc. and (2) Other Assets comprise of (i) outstanding premium (ii) due from other entities carrying on Insurance business including Re-insurers (iii) balance with terrorism pool (if applicable), etc.

(x) ‘**Shareholders’ Funds**’ shall mean share capital plus all reserves and surplus (except revaluation reserve and fair value change account) net of accumulated losses and miscellaneous expenditure to the extent not written off as at the Balance Sheet date.

Explanation: For the purposes of reckoning the ‘shareholders’ fund’, the IIOs in an unincorporated form shall use ‘assigned capital’ as mentioned in sub regulation (2) of regulation 17 of International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021, instead of ‘share capital’.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations made thereunder, shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto.

CHAPTER – II

General instructions for preparation & presentation of Financial Statements

5. Applicable ‘Accounting Standard’ or “AS”

- (1) An IIO set up in an unincorporated form, shall prepare its financial statements in accordance with the accounting standards applicable to its Parent Entity.
- (2) An IIO set up in an incorporated form, shall prepare its financial statements in accordance with the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), except that:
 - (i) Cash Flow Statements shall be prepared only under the Direct Method as provided under Accounting Standard 3 (AS 3);
 - (ii) Segment Reporting shall be prepared in accordance with Accounting Standard 17 (AS 17), irrespective of the requirements regarding listing and turnover mentioned therein;
 - (iii) Accounting Standard 13 (AS 13) on Accounting for Investments shall not be applicable;

Provided that the Authority may specify the transition to IFRS or any other accounting standard, as and when it deems fit.

6. Preparation of financial statements by IIOs set up in an incorporated form:

- (1) IIOs set up in an incorporated form and engaged in life insurance business, shall adhere to the accounting principles, standards and disclosures or other requirements, as specified under **Schedule- A**.
- (2) IIOs set up in an incorporated form and engaged in general insurance business or reinsurance business, shall adhere to the accounting principles, standards and disclosures or other requirements, as specified under **Schedule- B**.

7. Presentation of financial statements

- (1) All IIOs shall present their financial statements in such form and manner as specified by the Authority.
 - (2) The financial statements prepared by IIOs shall also include comparative information in respect of the preceding accounting year.
8. An IIO shall clearly disclose the Accounting Standards which have been followed in the preparation and presentation of the financial statements.
9. The financial statements prepared and presented by IIOs shall *inter-alia* include a detailed statement of the accounting policies applied for each aspect of the financial statement.
10. An IIO shall disclose the change in accounting standard or any of the accounting policies adopted and its head-wise financial impact on the financial statements.
11. Any financial reporting by an IIO to the Authority shall be in USD, unless otherwise specified by the Authority.
12. An IIO set up in an incorporated form, shall submit its Annual Report to the Authority within ninety (90) days from the end of financial year, *inter-alia* containing the following:
- (i) Board of Director's Report;
 - (ii) Management Discussion and Analysis (MD&A) Report;
 - (iii) Risk Management Report;
 - (iv) Corporate Governance Report;
 - (v) Audited financial statements with corresponding Notes to Accounts;
 - (vi) Certified External Auditor Report; and
 - (vii) Certified Actuarial Report.
13. An IIO shall make disclosures of all related party transactions in its audited financial statements.
14. Any contract not covered under 'insurance contract', as defined in regulation 4(1)(iv) above, shall be reported and disclosed separately.
- 15. Separation of Funds**
- (1) All IIOs shall keep separate accounts of shareholders' funds and policyholders' funds in a manner as may be specified by the Authority.
 - (2) All IIOs shall ensure that the investments allocated to the policyholders shall not be less than the value of the policyholders' fund.

CHAPTER – III**Maintenance of Books of Accounts, Records and Documents**

16. An IIO shall maintain and preserve the following documents as may be specified by the Authority in electronic retrieval form-
- (1) balance sheet as at the end of each accounting year;
 - (2) profit and loss account for each accounting year, which shall be maintained on accrual basis;
 - (3) revenue account;
 - (4) statement of cash/fund flow (direct method); and
 - (5) such other books of accounts, records and documents related to its business activities, as may be specified by the Authority from time to time.
17. All books of accounts, documents, statements, contract notes etc., referred to in these regulations shall be retained by an IIO as specified in International Financial Services Centres Authority (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022.

CHAPTER - IV**Miscellaneous****18. Power to specify procedure, etc.:**

For the purpose of implementation and facilitation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manner for compliance by IIOs.

19. Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:

- (1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.
- (2) On an application, received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

20. Inspection, Investigation, Information and Disclosure:

- (1) The Authority may inspect or investigate the affairs of the IIO including calling for any information from the IIO or its Parent Entity, so far as it relates to its activities as an IIO.
- (2) The IIO shall make disclosures, in such form and manner as may be specified by the Authority.

21. Repeals and saving:

- (1) On and from the commencement of these regulations, IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and guidelines/circulars issued thereunder, shall cease to apply in International Financial Services Centres.
- (2) On and from the commencement of these regulations, Chapter – 4 of International Financial Services Centres Authority (Operations of International Financial Services Centres Insurance Offices) Guidelines, 2021, shall stand omitted.
- (3) Notwithstanding anything in sub-regulation (1), any action taken or purported to have been taken under the regulations, guidelines, circulars mentioned in sub-regulation (1) before the commencement of these regulations shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these regulations;
- (4) An IIO operating in the IFSC prior to the commencement of these regulations, shall comply with additional requirements stipulated in these regulations, within a period of six (6) months from the date of commencement of these regulations or within such extended time as may be specified by the Authority.

SCHEDULE- A**[Refer Regulation 6(1)]****PART- I****Accounting Principles for Preparation and Presentation of Financial Statements****1. IIOs shall adhere to the following general accounting principles while preparing financial statements:**

- (1) **Premium:** Premium shall be recognised as income when due. For linked business, the due date for payment may be taken as the date when the associated units are created.
- (2) **Acquisition costs:** Acquisition costs, if any, directly attributable to the policy shall be expensed over the contract period or period of risk on the policy. The unexpired portion of the policy shall be deferred and recognised as Deferred Acquisition costs and expensed in subsequent periods.

Explanation: Acquisition costs are the costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts. The most essential test is the obligatory relationship between costs and the execution of insurance contracts (i.e. commencement of risk)

- (3) **Claims Cost:** The ultimate cost of claims shall comprise of the policy benefit amount and specific claims settlement costs, wherever applicable.
- (4) **Actuarial Valuation - Liability for Life Policies:**
 - (i) The estimation of liability against life policies shall be determined by the appointed actuary of the IIO pursuant to the annual assessment of the life insurance business. Actuarial assumptions shall be disclosed by way of notes to the accounts.

- (ii) The liability shall be so calculated that together with future premium payments and investment income, the IIO can meet all future claims (including bonus entitlements to policyholders) and expenses.
- (iii) Additionally, the IIO shall maintain adequate assets to discharge all its liabilities.

2. Notwithstanding anything contained in the applicable Accounting Standards as specified in regulation 5 of these regulations, IIOs shall adhere to the following procedure to determine value of its investments:

(1) **Investment in Real Estate:**

- (i) The value of investment in real estate shall be determined at historical cost, subject to revaluation at least once in every three years. The change in the carrying amount of the investment in real estate shall be taken to Revaluation Reserve. The basis for revaluation shall be disclosed in the notes to accounts.
- (ii) The IIO shall, before finalisation of its balance sheet, assess whether any impairment of the investment in real estate has occurred. An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue Account or Profit and Loss Account immediately, unless the asset is carried at re-valued amount. Any impairment loss of a re-valued asset shall be treated as a revaluation decrease of that asset.
- (iii) Gains or losses arising due to changes in the carrying amount of real estate shall be taken to equity under 'Revaluation Reserve'. The 'Profit or Loss on sale of investments', as the case may be, shall, after adjusting include the accumulated changes in the carrying amount (previously recognised in equity under the heading 'Revaluation Reserve') in respect of that particular property and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on sale of that property.
- (iv) The bases for revaluation shall be disclosed in the notes to accounts. The Authority may issue directions specifying the amount to be released from the Revaluation Reserve for declaring bonus to the policyholders. For the removal of doubt, it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as per the Authority's direction, no other amount shall be distributed to shareholders out of Revaluation Reserve.

(2) **Debt Securities:** Debt securities, including government securities and redeemable preference shares, shall be considered as "held to maturity" securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation. In case of any downgrade in the rating of the debt securities, which results in a decrease in the accounted value, the possible impact of the same on the balance sheet shall be disclosed in the 'Notes to Account'.

(3) **Listed Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active market:**

- (i) Listed equity securities and derivative instruments that are traded in active markets shall be measured at fair value on the balance sheet date.

Explanation: For the purpose of calculation of fair value, the lowest of the last quoted closing price in the stock exchanges where the securities are listed shall be taken.

- (ii) The IIO shall assess on each balance sheet date as to whether any impairment of listed equity security (ies)/ derivative(s) instruments has occurred.
- (iii) An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing sellers is normal and the prices are publicly available.
- (iv) Unrealised gains or losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to equity under the head "Fair Value Change Account". The 'Profit or Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading "Fair Value Change Account" in respect of a particular security and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on actual sale of that listed security.
- (v) The Authority may issue directions specifying the amount to be released from the Fair Value Change Account for declaring bonus to the policyholders.

Explanation: it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as specified by the Authority, no other amount shall be distributed to shareholders out of

Fair Value Change Account. Also, any debit balance in Fair Value Change Account shall be reduced from profit/ free reserves while declaring dividends

- (vi) The IIO shall assess, on each balance sheet date, whether any impairment has occurred. An impairment loss shall be recognised as an expense in Revenue Account or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue Account or Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in Revenue/Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/Profit and Loss Account.
- (4) **Unlisted or other actively traded Equity Securities and Derivative Instruments:** Unlisted equity securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active markets shall be measured at historical cost. Provision shall be made for diminution in value of such investments. The provision so made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the investment over its carrying amount. The increased carrying amount of the investment due to the reversal of the provision shall not exceed the historical cost.
- (5) **Loans:** Loans shall be measured at historical cost subject to impairment provisions. The IIO shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment.
- (6) **Loans Secured by Insurance Policies Issued by the IIO:** Valuation of a loan secured by an insurance policy issued by the IIO must be as the amount of the loan but not exceeding the amount payable on a surrender or early termination of the policy as at the date the policy is being valued.
- (7) **Linked Business:** A separate set of financial statements, for each segregated fund of the linked businesses, shall be annexed.
Explanation: The fund earmarked in respect of Unit Linked business would be referred to as segregated fund.
- (8) **Funds for Future Appropriation:** The funds for future appropriation shall be presented separately.
Explanation: The funds for future appropriation represent all funds, the allocation of which, either to the policyholders or to the shareholders, has not been determined by the end of the financial year.
- (9) **Other Assets:**
- (i) Valuation of deposits and current account balances with banks/ other financial institutions must be at their carrying value. The admissible value of these assets is their carrying value. The admissible value of any cash holding is carrying value.
- (ii) For investments, that are not specifically covered above, if the investment is due, or will become due, within twelve (12) months from the date at which the investment is being valued/measured, valuation should be based on the amount which can reasonably be expected to be recovered in respect of the investment, taking due account of any security held in respect thereof.

PART -II

Disclosures forming part of Financial Statements

1. The following shall be disclosed by way of notes to the Balance Sheet:
- (1) Contingent Liabilities:
- (i) Partly-paid up investments;
- (ii) Underwriting commitments outstanding;
- (iii) Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts;
- (iv) Guarantees given by or on behalf of the IIO;
- (v) Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for;
- (vi) Reinsurance obligations 'to the extent not provided for in accounts'; and
- (vii) Others, as may be specified

- (2) Actuarial assumptions 'for valuation of liabilities for life policies in force'.
 - (3) Encumbrances created over the assets of the IIO.
 - (4) Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.
 - (5) Basis of amortisation of debt securities.
 - (6) Claims settled and remaining outstanding for a period of more than six months on the balance sheet date.
 - (7) Value of contracts in relation to investments, for:
 - (i) Purchases where deliveries are pending;
 - (ii) Sales where payments are overdue.
 - (8) Historical costs of those investments valued on fair value basis.
 - (9) Basis of revaluation of assets acquired out of investment.
 - (10) Impact of Deferred Acquisition Cost on financial statements.
2. The following information shall also be disclosed:
- (1) Investments made in accordance with any statutory requirement shall be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights;
 - (2) Segregation into performing/ non-performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Authority;
 - (3) Percentage of business sector-wise and geography-wise;
 - (4) A summary of financial statements for the last five years, in the manner as may be specified by the Authority;
 - (5) Bases of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account;
 - (6) Accounting Ratios as may be specified by the Authority.
3. The notes to accounts shall provide, where required,
- (1) narrative descriptions or disaggregation's of items recognized in the Financial Statements;
 - (2) information about items that do not qualify for recognition in Financial Statements.

SCHEDULE- B

[Refer Regulation 6 (2)]

PART- I

Accounting Principles for Preparation & Presentation of Financial Statements

1. Notwithstanding anything contained in the applicable Accounting Standards as specified in Reg. 5, IIOs shall adhere to the general accounting principles specified in this Part while preparing Financial Statements
2. **Segmental Reporting**
 IIO engaged in general insurance, health insurance or re-insurance business shall prepare a detailed breakup of the revenue accounts on segmental basis in the manner as may be specified by the Authority.
Provided that, the segmental reporting as given above shall be made by way of disclosure in the notes to the accounts for IIOs set up in a branch form.
3. **Premium**
 - (1) Premium in respect of insurance contracts shall be recognized as income over the contract period or the period of risk, whichever is relevant.
 - (2) A reserve for unearned premium shall be created as the amount representing that part of the premium written which is attributable to, and to be allocated to the succeeding accounting periods.
 - (3) Unearned premium shall be shown separately under the head 'Current Liabilities' and appropriate disclosures regarding management's basis of assessment shall be made in the financial statements.

- (4) Unearned Premium Reserve (UPR) shall be computed in such manner as may be specified by the Authority.
- (5) Premium Received in Advance, which represents premium received prior to the commencement of the risk, shall be shown separately under the head 'Current Liabilities' in the financial statements.
- (6) Premium shall be shown net of any tax (as applicable) collected from the policyholders.
- 4. Premium Deficiency:** Premium deficiency shall be recognised if the sum of expected claim costs, related expenses and maintenance costs exceeds related unearned premiums.
- 5. Acquisition Costs:** Acquisition costs, if any, directly attributable to the policy shall be expensed over the contract period or period of risk on the policy. The portion pertaining to the unexpired portion of the policy shall be deferred and recognised as Deferred Acquisition costs and expensed in subsequent periods.
- 6. Claims**
- (1) The components of the ultimate cost of claims to an IIO comprise the claims under policies and claims settlement costs. Claims under policies comprise the claims made for losses incurred, and those estimated or anticipated under the policies following a loss occurrence.
- (2) A liability for outstanding claims shall be brought to account in respect of both direct business and inward reinsurance business. The liability shall include: -
- (i) Future payments in relation to unpaid reported claims;
- (ii) Claims Incurred But Not Reported (IBNR) including inadequate reserves (sometimes referred to as Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER)) which will result in future cash/asset outgo for settling liabilities against those claims.
- Explanation:* Change in estimated liability represents the difference between the estimated liability for outstanding claims at the beginning and at the end of the accounting period.
- (3) The accounting estimate shall also include claims cost adjusted for estimated salvage value if there is sufficient degree of certainty of its realisation.
- 7. Actuarial Valuation of claim liability**
- (1) Estimate of claims made in respect of contracts shall be recognised on an actuarial basis, subject to provisions of the relevant Accounting Standards and certificate from an appointed actuary as to the fairness of liability assessment shall be obtained.
- (2) Actuarial assumptions shall be suitably disclosed by way of notes to the account.
- 8. Notwithstanding anything contained in the applicable Accounting Standards as specified in Reg. 5, IIOs shall adhere to the following procedure to determine value of investments:**
- (1) **Investment in Real Estate:**
- (i) Investment in real estate shall be measured at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, residual value being considered zero and no revaluation being permissible.
- (ii) The IIOs shall assess at each balance sheet date whether any impairment of the investment in real estate has occurred.
- (iii) An impairment loss shall be recognised as an expense in the revenue/profit and loss account immediately.
- (iv) Fair Value as at the balance sheet date and the basis of determination shall be disclosed in the financial statements as additional information.
- (2) **Debt Securities:** Debt securities, including government securities and redeemable preference shares, shall be considered as "held to maturity" securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation. In case of any downgrade in the rating of the debt securities, which results in a decrease in the accounted value, the possible impact of the same on the balance sheet shall be disclosed in the 'Notes to Account'.
- (3) **Listed Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active market:**
- (i) Listed equity securities and derivative instruments that are traded in active markets shall be measured at fair value on the balance sheet date.

Explanation: For the purpose of calculation of fair value, the lowest of the last quoted closing price in the stock exchanges where the securities are listed shall be taken.

- (ii) The IIO shall assess on each balance sheet date as to whether any impairment of listed equity security (ies)/ derivative(s) instruments has occurred.
- (iii) An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing sellers is normal and the prices are publicly available.
- (iv) Unrealised gains/ losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to equity under the head 'Fair Value Change Account'. The 'Profit or Loss on sale of investments', as the case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading 'Fair Value Change Account' in respect of a particular security and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on actual sale of that listed security.
- (v) The Authority may issue directions specifying the amount to be released from the Fair Value Change Account for declaring bonus to the policyholders.

Explanation: it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as specified by the Authority, no other amount shall be distributed to shareholders out of Fair Value Change Account. Also, any debit balance in Fair Value Change Account shall be reduced from profit/ free reserves while declaring dividends

- (vi) The IIO shall assess, on each balance sheet date, whether any impairment has occurred. An impairment loss shall be recognised as an expense in Revenue/Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in Revenue/Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/Profit and Loss Account.
- (4) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments:** Unlisted equity securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active markets shall be measured at historical cost. Provision shall be made for diminution in value of such investments. The provision so made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the investment over its carrying amount. The increased carrying amount of the investment due to the reversal of the provision shall not exceed the historical cost.
- (5) **Loans:** Loans shall be measured at historical cost subject to impairment provisions. The IIO shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment.
- (6) **Catastrophe Reserve:** shall be created in accordance with norms, if any, specified by the authority.

PART- II

Disclosures forming part of Financial Statements

1. Additional disclosures forming part of Balance Sheet

- (1) Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for)
 - (i) Contingent Liabilities shall be classified as:
 - a. Claims, other than those under policies, not acknowledged as debt
 - b. Reinsurance obligations;
 - c. Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for;
 - d. Other money for which the IIO is contingently liable.
 - (ii) Commitments shall be classified as:
 - a. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for;
 - b. Uncalled liability on shares and other investments partly paid;
 - c. Other commitments (specify nature).

- (2) Encumbrances over the assets of the IIO in and outside India.
- (3) Contracted amount in relation to investments for:
 - (i) Purchases where deliveries are pending;
 - (ii) Sales where payments are overdue.
- (4) Extent of risk retained and reinsured in respect of insurance contracts.
- (5) Claims settled and remaining outstanding for a period of more than six months on the balance sheet date.
- (6) When the IIO applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of items in the financial statements or when it reclassifies items in its financial statements, the IIO shall attach to the Balance Sheet a restated "Balance Sheet" as at the beginning of the earliest comparative period with detailed schedules of the impacted areas.
- (7) The minimum assigned capital for an IIO in terms of the Act, shall be presented as a separate component of equity under Statement of Changes in Equity. Any contribution in excess of the minimum assigned capital shall be classified in accordance with relevant Accounting Standards.
- (8) Actuarial assumptions in valuation of claims shall be presented in detail as part of the notes to the financial statements.
- (9) Impact of Deferred Acquisition Cost on financial statements.

2. Additional disclosures forming part of Notes to Statement of Profit & Loss

- (1) Computation of managerial remuneration;
- (2) Extent of premium income recognised for general insurance business, based on varying risk pattern, category wise, with basis and justification therefor, including whether reliance has been placed on external evidence;
- (3) Items of expense and income in excess of one percent of the total net premium shall be shown separately;
- (4) Details of various penal actions taken by Regulatory Authorities on the IIO or its parent entity;
- (5) Accounting Ratios as may be specified by the Authority.

3. The notes to accounts shall also provide, where required,

- (1) narrative descriptions or disaggregations of items recognized in the Financial Statements;
- (2) information about items that do not qualify for recognition in Financial Statements.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.III/4/Exty./557/2022-23]